न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—383/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00383)

1. लालचंद पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति कुम्हार निवासी वोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
2. रामप्यारी बेवा चुन्नीलाल जाति कुम्हार निवासी वोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

अपीलांट्स

बनाम

1. मोहन पुत्र मोती (फौत)
   1/1 गोविन्दी पुत्री मोहन (सामस्त जातियान कुम्हार निवासीगण वोराज
   1/2 सावित्री पुत्री मोहन तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर)
   1/3 सरजू पुत्री मोहन
   1/4 ओमप्रकरश पुत्र मोहन
   1/5 मुकेश पुत्र मोहन
   1/6 ललिता पुत्री मोहन
   1/7 रूकमा पत्नी मोहन
   1/8 संतोष पुत्री मोहन
2. हरिनारायण पुत्र श्री किशन
3. सीताराम पुत्र श्री किशन
4. बंशी पुत्र श्री किशन
5. मदन पुत्र श्री किशन
6. ताराचंद पुत्र श्री किशन
7. गोपाल पुत्र श्री किशन
8. छीतर पुत्र केसरा
9. टीकमचंद पुत्र केसरा
10. सत्यनारायण पुत्र केसरा
11. नानगराम पुत्र रामचंद्र
12. नांगलचंद पुत्र रामचंद
13. सायर पुत्र रामचंद
14. रमेश पुत्र रामचंद
15. भीमराज पुत्र रामचंद
16. तहसीलदार/उप—पंजीयक मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 15.06.2016 न्यायालय सहायक कलेक्टर, दूदू राजस्व वाद संख्या 326/13

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थितः—

1. श्री सुरेन्द्र शर्मा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 16.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/8, 2 से 15 अनुपस्थित.

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः–16.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 326/13 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 15 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधा विरूद्ध अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 16 पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होने पर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सही रूप से विवेचन नहीं कर तथा न ही पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए न्याय आपके द्वारा राजस्व केम्प कोर्ट में दिनांक 15/6/2016 को टी0आई0 प्रार्थना पत्र संख्या 326/2016 का अंतिम रूप से निस्तारण कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 326/13 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/8, 2 से 15 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.6.2016 की अपीलांटस को कभी भी जानकारी नहीं रही है अभी हाल ही में न्यायालय द्वारा जब केम्प में फैसल हुए प्रकरणों की सूची चस्पा की गई तब प्रार्थीगण को उक्त आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई, जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 30.8.2016 को नकल प्राप्त कर अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, अपील पेश करने में जो विलंब हुआ है वह अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर नहीं हुआ है जानकारी के अभाव में हुआ है, जो क्षमा किए जाने योग्य है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उक्त प्रकरण अन्य अप्रार्थीगण की तलबी में चलते हुए भी बिना उनकी तामिल कराए अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को बिना सुनवाई का अवसर देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने कोई स्पष्ट

Scanned with CamScanner

निष्कर्ष व्यक्त नहीं किए है। वरन एक साईक्लोस्टाईल पेपर में कम्प्यूटर से पूर्व से ही टाईपशुदा पन्ने को ऑडरशीट बनाते हुए उसमें पेन से खसरा नम्बर अंकित करते हुए प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। वरवक्त पर्चा सेटलमेंन्ट सम्वत 2011 में गंगाराम पुत्र धन्ना काबिज काश्त था अतः पर्चा सेटलमेंट कब्जे काश्त के अनुसार जारी किया गया था व जिस भूमि पर रेस्पोडेंटस के वारिसान काबिज थे उनके नाम उस भूमि का पर्चा जारी किया गया था। वरवक्त पर्चा सेटलमेंट पन्ना, गणेशा, पिता बक्सा का कथित आराजी पर जब कोई कब्जा ही नहीं था तो उनका 1/2 हिस्सा होना या उनके नाम 1/2 हिस्से का जारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। विवादग्रस्त आराजी किता 9 कुल रकबा 50 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम बोराज पर वरवक्त पर्चा सैटलमेंट गंगाराम अकेला काबिज काश्त था अतः सम्वत 2011 में खाता संख्या 108 का पर्चा गंगाराम के नाम कब्जे काश्त के आधार पर सही जारी किया गया और जब तक गंगाराम जीवित रहा अकेला बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहा व उसके स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे हैं रेस्पोडेंटस या उनके पूर्वज पन्ना,मोती,गणेश, नन्दा का कभी कब्जा काश्त नही रहा न वर्तमान में है आज भी अपीलांटस बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। आदि महत्वपूर्ण तथ्यों जिनको कि अपीलांटस ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से व अपने जवाब में उल्लेखित करते हुए बखूबी साबित किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जा0दी0 के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानों के विपरीत वादग्रस्त आराजीयात पर एकपक्षीय रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए काबिज काश्त काश्तकार को उनके अधिकारों से महरूम करने की नियत से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली को ताफैसला मूल वाद रेस्पोडेंट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। अपीलांटस उक्त आराजी का एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है मौके पर काबिज काश्त है, किसी खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इन तथ्यों पर गौर किए बिना अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 326/13 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन झूठे है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपील जवाब/बहस पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

10. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण विवादित आराजीयात बाबात अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु लंबित था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को दिनांक 15.6.2016 को कोर्ट केम्प न्याय आपके द्वार में उक्त पत्रावली को सुनवाई हेतु निर्धारित कर उक्त दिनांक 15.6.2016 को ही निर्णीत कर दिया उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त निर्णय विधिनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति को बिना विस्तृत रूप से उल्लेखित कर उक्त निर्णय सरसरी तौर से पारित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया ही फील इन दी ब्लैंक/ स्कैची आदेश प्रतीत होकर संक्षिप्त आदेश है जो कि न्याय की मंशा के विपरीत है अतः अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य प्रतीत होने से न्याय हित में उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.6.2016 को निरस्त किया जाता है, उक्त प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि है कि उभयपक्ष को समुचित रूप से सनुवाई का अवसर प्रदान कर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर विस्तृत रूप से निर्णय पारित करें, तब तक न्यायहित में उभयपक्ष विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर आदेश पारित कर दिये जाने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा।

11. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 326/13 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र बाबत समुचित साक्ष्य, एव सुनवाई का अवसर प्रदान कर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विस्तृत रूप से पुनः निर्णय पारित करें तब तक उभयपक्ष को विवादित आराजीयात बाबत मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायायल द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित हो जाने पर न्यायालय हाजा

Scanned with CamScanner

द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 16.2.2023 स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जाएगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner